

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1313 /2019

दिनांक : 02.07.2019

श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को दिनांक 09.04.2019 से 04.05.2019 तक 26 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 05.05.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर/ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



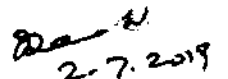
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/23/2016/ 5940

दिनांक : 02.07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 1514 दिनांक 10.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।



सहायक रजिस्ट्रार